कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/सं.व.प्र./294 — भोपाल, दिनांक 29–6–2002

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

विषय :– **संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत गठित समितियों के परिवारों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता।**

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक निस्तार/80/2452 दिनांक 19–6–2001

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपको रायल्टी मुक्त निस्तार के संबंध में निर्देश दिये गये थे। रायल्टी मुक्त निस्तार की उपलब्धता के संबंध में शासन से मार्ग दर्शन मांगा गया था। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक 16/4/1991/10–2 दिनांक 13–6–2002 से संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत गठित समितियों के परिवारों को सरायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त निर्देशों के अनुसार शासन के संकल्प दिनांक 22/10/2001 की कंडिका 11.1.1 के अनुसार सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है।

2/ समितियों को दिये गये उपरोक्त अधिकार के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि उपलब्धता का आशय समिति को आवंटित वन क्षेत्र में उपलब्ध निस्तार वनोपज से है अर्थात यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है तो ही सदस्यों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। यदि किसी क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रायल्टी देय होगी।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्न :– शासनादेश एक

हस्ता.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल